



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39137-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1970/2026

कादेराम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शैली गांगुली

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है :-

"(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को निर्देश दिया जाए कि वे धारा 103(1) बी.एन.एस., पुलिस थाना- मिलक, जिला- रामपुर के तहत चल रही जांच को न्यायालय की निगरानी में जांच के लिए भेजें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे न्याय के हित में, धारा 103(1) बी.एन.एस., पुलिस थाना- मिलक, जिला- रामपुर के तहत आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करें।

(iii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वे कृपया केस क्राइम संख्या 516/2025 की जांच को पुलिस थाना- मिलक, जिला- रामपुर से उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित कर दें, जहाँ जांच को आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रभावित न किया जा सके।

(iv) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें।

(v) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और सही समझे।

(vi) रिट याचिका का खर्च याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रदान किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. दिनांक 09.11.2025 को दर्ज की गई थी, फिर भी पुलिस मामले की जांच निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रामपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें वह अपनी शिकायत को उजागर करे और निष्पक्ष तथा तटस्थ जाँच की माँग करे; और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रामपुर, इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जाँच सुनिश्चित करेंगे।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उपरोक्त आदेश के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

20 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”